

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-34/2014

/कृ०, पटना, दिनांक

दिसम्बर, 2015.

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संतोष कुमार,  
मेसर्स ज्योति लेबोरेटरीज लि०,  
टी० आर० फ्लावरमिल्स लिमिटेड,  
ओल्ड मोतिहारी रोड, कोल्हुआ,  
पैगम्बरपुर बैरिया, मुजफ्फरपुर।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 127 दिनांक 15.09.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्योति लेबोरेटरीज लि०, द्वारा स्वनिर्मित निम्नांकित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 127 दिनांक 15.09.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट किया जा सकता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Transfluthrin 1% FU

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स ज्योति लेबोरेटरीज लि०, टी० आर० फ्लावरमिल्स लिमिटेड, ओल्ड मोतिहारी रोड, कोल्हुआ, पैगम्बरपुर बैरिया, मुजफ्फरपुर।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चेरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

5821

/कृ०, पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।